न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य-प्रदेश

==

निगरानी प्र.क्र. I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/ 2159

1. उमादत्त कौशिक तनय स्व.श्री मदन मोहन कौशिक
2. अश्वनी कुमार तनय श्री उमादत्त कौशिक

निवासीगण/ग्राम महेबा, तह. व जिला छतरपुर मध्य-प्रदेश

------ निगरानीकर्तागण

बनाम

1. रामदत्त कौशिक तनय स्व.श्री मदन मोहन कौशिक
2. श्रीमती रामरती पत्नि श्री डा. रामदत्त कौशिक,
3. रामकुमार तनय श्री डा. रामदत्त कौशिक,
4. राघवेन्द्र कुमार तनय श्री डा. रामदत्त कौशिक
5. श्रीकांत तनय श्री डा. रामदत्त कौशिक

समस्त निवासीगण/ग्राम महेबा तहसील व जिला छतरपुर म0प्र0

--- उत्तरवादीगण

श्री मुकेश भार्गव अभि0 द्वारा आज दि. 3-5-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 17-5-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 3-5-18

मुकेश भार्गव
3-5-18 एडवोकेट
ग्वालियर

निगरानी धारा 50 म0प्र0 भू0रा0 सं0 के अंतर्गत

अपर आयुक्त के अपील प्र.क्र. 186/अ-6/2013-14 मे पारित आदेश दिनांक- 2.11.2017 के विरूद्ध ।

महोदय,

निगरानीकर्ता निम्न लिखित कारणों पर यह निगरानी - प्रस्तुत कर निवेदित है :-

1. यहकि अपर आयुक्त सागर के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के अपील क्र. 172/अपील अ-63/2011-012 मे पारित आदेश दि0 17-12-2013 के विरूद्ध इस आशय से प्रस्तुत की गई है, कि अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा विधि एवं साक्ष्य को बिना देखे ही काल्पनिक आदेश कर दिया है इसलिये उक्त अपील में साक्ष्य एवं विधि पर आधारित -

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/2159

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03/05/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि संहिता की धारा-115/116 में स्वप्रेरणा से शुद्धि एक वर्ष तक की जा सकती है। अनावेदक द्वारा किस वर्ष की शुद्धि की जाना है, यह स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। तहसीलदार ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि पंजीकृत बंटवारा 21.12.79 एवं राजस्व प्रकरण क्रमांक 16 रिकॉर्ड में किया गया है। इस स्थिति में इतने लंबे वर्ष उपरांत संहिता की धारा-115/116 का आवेदन नहीं दिया जा सकता जिसके संबंध में अनेक न्यायदृष्टांतों का हवाला दिया गया है। उक्त तथ्य की पुष्टि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने आदेश में की है। अत: प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष समवर्ती हैं। उक्त आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	